हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–II के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2015

भाग–एक

1 प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एस0जी0–4(डी)1–1/92/2, दिनांक 13.9.2004 के अनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल–II जिला शिमला के अवधि 4/2014 से 3/2015 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य इस विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान दिनाँक 1.4.2014 से 31.3.2015 तक श्री संदीप सेन, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

(क) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–II, के अवधि 4/2013 से 3/2014 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्र0 सं0	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं0	राशि लाखों में
1	स्टाफ अग्रिम समायोजन हेतु शेष	4(क)	0.71
2	विविध अग्रिम समायोजन हेतु शेष	4.1	19.08
3	जल प्रभार की वसूली हेतु शेष	5	7.83
4	रख–रखाव प्रभार की वसूली हेतु शेष	5.1	22.72
5	TDS Penalty का अनियमित भुगतान	9	0.21
6	गलत गणना के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान	11	0.43
7	Approved Drawing की तुलना में अनुबन्ध की मद संख्या i.e. P/F M.S black Sheet eaves board/facia/soffit/ceiling का size अधिक लेने के कारण संविदाकार अधिक भुगतान	13	0.33
8	Item No. 4(b) i.e. From Work की तुलना में Item No. 9 i.e. P/L CC M-20 in Flat Surfaces का संविदाकार को अधिक भुगतान	13.1	0.19
9	10 cc दावे के रूप में संविदाकार को अधिक भुगतान	14	18,296
10	अनुबन्ध की क्लाज–2 के अन्तर्गत जुर्माने की निर्धारित राशि की वसूली संविदाकार से न करने बारे	15.1	30.58
11	वीप होल्स की कार्य मद का अलग भुगतान करने से आर0आर0	16	0.26

	मैसनरी की मात्रा के लिए संविदाकार को अधिक भुगतान		
12	Service Tax की कटौती का अनियमित वापसी	19	0.48
13	Service Tax में समय पर जमा न करवाया जाना	20	427,241

(ख) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट ''क''** में दर्शाई गई है। वर्ष 4/1988 से 3/2014 तक मण्डल से सम्बन्धित 73 पैरे शेष हैं, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	वर्ष	शेष पैरों की संख्या
1	4/1996 से 3/1997	1
2	4/2003 से 3/2004	4
3	4/2004 से 3/2005	3
4	4/2005 से 3/2006	14
5	4/2006 से 3/2007	2
6	4/2007 से 3/2008	1
7	4/2009 से 3/2010	3
8	4/2011 से 3/2012	1
9	4/2012 से 3/2013	4
10	4/2013 से 3/2014	1
11	4/1988 से 3/1989	2
12	4/1989 से 3/1990	1
13	4/1990 से 3/1991	2
14	4/1991 से 3/1992	1
15	4/1992 से 3/1993	1
16	4/1993 से 3/1994	2
17	4/1994 से 3/1995	4
18	4/1995 से 3/1996	11
19	4/1996 से 3/1997	3
20	4/1997 से 3/1998	6
21	4/1999 से 15/2001	6
	योग	**73**

अतः अधिशाषी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–II, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश अनिर्णीत ऑडिट पैरों के सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–II, शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, सर्वश्री अनिल शर्मा अनुभाग अधिकारी (ले0प0) एवं रविन्दर सिंह, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा दिनांक 28.1.2016 से 5.3.2016 के दौरान श्री पदम सिंह कंवर, उप निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश), शिमला–9 के पर्यावेक्षण में शिमला में किया गया। मास 9/2014 के लेखों का चयन विस्तृत जाँच के लिए किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण, अधिशाषी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–II, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध अभिलेख व प्रेषित सूचनाओं के आधार पर किया गया है। उक्त संस्था उपलब्ध करवाई गई किसी प्रकार की अधूरी व छुपाई गई सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–9 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण केवल चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।

3. अंकेक्षण शुल्क

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल–II, जिला शिमला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 के लेखाओं का अंकेक्षण करने हेतु अंकेक्षण शुल्क की राशि जमा करवाने हेतु सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला–2 को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4 स्टाफ अग्रिम की ₹0.71 लाख समायोजन हेतु शेष पाया जाना

स्टाफ अग्रिम लेखाओं की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 को ₹7078 समायोजन हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्न दिया गया है। स्टाफ अग्रिम विवरण की जांच में यह भी पाया गया कि अधिकतर अग्रिम वाहन चालको से सम्बन्धित थे। अतः इस सम्बन्ध में अग्रिम के समायोजन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए। तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

कर्मचारी का नाम एवं पद	वर्ष 2013–14 के अन्त में देय
श्री सुरेन्दर सिंह, वाहन चालक	49735
श्री बोध राज, जे0ई0	11633

श्री प्रेम लाल, जे0ई0		1000
श्री सुनील, वाहन चालक		8412
	कुल राशि	**₹70780**

4.1 विविध अग्रिम लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹25.98 लाख (Dr.) और ₹6.89 लाख (Cr.) का समायोजन हेतु शेष पाया जाना

विविध अग्रिम से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डल–II के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2015 तक विभागों/फर्मों/संविदाकारों से ₹2597874 (Dr.) और ₹689386 (Cr.) समायोजन हेतु शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है। जांच करने पर पाया गया कि विविध अग्रिम की अधिकत्तर राशियां अनेक वर्षों से निपटारे हेतु लम्बित थी। अतः इस सम्बन्ध में अग्रिम के समायोजन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

फर्म का नाम	वर्ष 2013–14 के अन्त में देय	टिप्पणी
HP State Civil Supply Corporation Ltd. Shimla	689386.00 Cr.	
Indian Oil Corporation, Shimla	4743.00 Dr.	राशि वर्ष 2012–13 से सम्बन्धित है
HP Agro Industries	102375.00 Dr.	
Steel Authority of India	143556.00 Dr.	
Rashitya Ispat Nigam Ltd.	2853.00Dr.	
Sh. Surender Singh, Driver	18481.00 Dr.	
Sh. Bhawani Dutt, Contractor	249143.00 Dr.	
Total	**25,97,874.00 (Dr.)**	**6,89,386.00 (Cr.)**

5 जल प्रभार की ₹7.83 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमुड़ा निर्माण मण्डल–II के अन्तर्गत विभिन्न आवास बस्तियों के मकान/प्लांट मालिकों से दिनांक 31.3.2015 तक जल प्रभार की ₹782956 वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः इस राशि की वसूली हेतु उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाए जाएं।

क्र0सं0	आवासीय बस्ती का नाम	जल प्रभार की दिनांक 31.3.2015 तक शेष राशि
1	आवास बस्ती शोघी	307,874
2	आवास बस्ती BCS Phase-II New Shimla	169,380
3	आवास बस्ती Basal	27,160
4	आवास बस्ती Kandaghat	276,690

5	आवास बस्ती Solan Phase-II		1,852
		कुल योग	**₹782,956**

5.1 रख–रखाव प्रभार की ₹22.72 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमुड़ा निर्माण मण्डल–II के अन्तर्गत विभिन्न आवास बस्तियों के मकान/प्लांट मालिकों से दिनांक 31.3.2015 तक रख–रखाव प्रभार की ₹2272416 वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः इस राशि की वसूली हेतु उचित एवं प्रभावशाली कदम उठाए जाएं।

क्र0सं0	आवासीय बस्ती का नाम	रख–रखाव प्रभार की दिनांक 31.3.2015 तक शेष राशि
1	आवास बस्ती शोघी	608602
2	आवास बस्ती BCS Phase-II New Shimla	353221
3	आवास बस्ती Basal	280112
4	आवास बस्ती Kandaghat	496432
5	आवास बस्ती Solan Phase-I	15000
6	आवास बस्ती Solan Phase-II (Saproon)	519049
	कुल योग	**₹22,72,416**

5.2 निर्माण मण्डल की विभिन्न आवासीय बस्तियों के रख–रखाव एवं जल प्रभार की गतिविधियों पर आय से अधिक व्यय किए जाने बारे

निर्माण मण्डल द्वारा विभिन्न आवासियों बस्तियों के रख–रखाव एवं पेयजल की आपूर्ति पर व्यय किया जाता है तथा व्यय का रख–रखाव शुल्क एवं जल प्रभार के रूप में आवासीय बस्तियों के आवंटितयों से वसूल किया जाता है। निर्माण मण्डल की विभिन्न आवासीय बस्तियों के रख–रखाव शुल्क एवं जल प्रभार से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि वर्ष 2014–15 के दौरान इन आवासीय बस्तियों के रख–रखाव एवं पेयजल की आपूर्ति पर आवासीय बस्ती के आवंटियों से रख–रखाव शुल्क एवं जल प्रभार के रूप में प्राप्त आय से अधिक व्यय किया गया था, जिसका विवरण निम्न दिया गया है, जबकिइस प्रकरण में आय और व्यय का अनुपात लगभग बराबर होना चाहिए था। अतः आवासीय बस्ती पर आय से अधिक व्यय करने को न्यायोचित ठहराया जाए।

निर्माण मण्डल की विभिन्न आवासीय बस्तियों के सम्बन्ध में रख–रखाव पर आय से अधिक व्यय किए जाने का ब्यौरा

Year	Name of Residential Colony	Annual Maintence Charges in r/o Residential Colony	Annual Maintence Charges Received in r/o Residential Colony	Excess Expenditure

2014-15	Housing Colony Shoghi	613147	523398	89749
	Housing Colony Basal	685197	305519	379678
	Housing Colony Kandaghat	483469	346886	136583

निर्माण मण्डल की आवासीय वस्ती बसाल के जल प्रभार पर आय से अधिक व्यय किए जाने का ब्यौरा

Year	Name of Residential Colony	Annual Maintence Charges in r/o Residential Colony	Annual Maintence Charges Received in r/o Residential Colony	Excess Expenditure
2014-15	Housing Colony Basal	242423	147729	94694

6 प्रशासनिक प्रभार प्राप्ति की अपेक्षा वेतन एवं भत्तों पर राशि ₹170.49 लाख का अधिक भुगतान करना

निर्माण मण्डल के लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि मण्डल द्वारा स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर वर्ष 2014–15 में ₹35305262 का व्यय किया गया, जबकि वर्ष के दौरान किए गए निर्माण कार्यों से प्रशासनिक प्रभार के रूप में ₹18256169 प्राप्त की गई, जोकि वेतन व भत्तों पर किए गए व्यय से ₹17049098 कम थी। अतः प्रशासनिक प्रभार के रूप में प्राप्त राशि व वेतन एवं भत्तों पर किए गए व्यय में समानुपात न होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए। वर्ष 2014–15 में अधिक भुगतान का विवरण निम्न प्रकार था।

निर्माण मण्डल–II द्वारा निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय	₹134277712
निर्माण मण्डल–II द्वारा स्थापना पर किया गया व्यय	₹35305262
निर्माण मण्डल–III द्वारा प्राप्त किया गया प्रशासनिक प्रभार	₹18256164
वर्ष 2014–15 के दौरान निर्माण मण्डल–III द्वारा प्राप्त प्रशासनिक प्रभार की तुलना में स्थापना पर किया गया अधिक व्यय	₹17049098

7 धरोहर/प्रतिभूति जमा खातों में ₹0.13 लाख का डेबिट पाया जाना

संविदाकारों की प्रतिभूति जमा खाता वही का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 को विभिन्न संविदाकारों के व्यक्तिगत खातों में की धरोहर/प्रतिभूति के रूप में जमा ₹12977 का अन्तशेष डेबिट रूप में पाया गया, जिसका विवरण निम्न दिया गया है। संविदाकारों की प्रतिभूति खाता में अन्तशेष का डेबिट इस प्रकार यह दर्शाता है कि संविदाकारों को जमा प्रतिभूति से अधिक भुगतान कर दिया गया। संविदाकार को जमा प्रतिभूति से अधिक भुगतान करना एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। अतः इस सम्बन्ध में उचित छानबीन की जाए और ₹12977 के डेबिट बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा डेबिट राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों से की जानी सुनिश्चित की जाए। तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Name of Contractor	**Ledger Page No.**	**Opening Balance**	**Detail of Security Received during the year**			**Total**	**Detail of Refund of Security**			**Excess**
			Amount	Date on which receipt has been made	receipt Voucher P.No.		Amount Refunded	Date of Refund	Payment Voucher No.	
Sh. Arvind Gupta	333	32312 Cr				32312	38100	16.4.14	CB-67	5788
M/s J.L. Chauhan & Sons	341	169348 Cr	89966	28.2.15	CB-69	259314	266503	29.5.14	CB-88	7189
								Total Excess payment		**₹12977**

8 उप–मण्डल की रोकड़ प्राप्तियों को मण्डल खाते में विलम्ब से जमा करवाया जाना

उप–मण्डल सोलन के जल और रख–रखाव प्रभार के रूप में प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेखों से पड़ताल करने पर पाया गया कि प्राप्त आय को निर्माण मण्डल–II के बैंक खाते में विलम्ब से जमा करवाया गया था, जोकि वित्तीय नियमों के विरूद्ध होने के साथ–साथ प्राप्त राशि का अस्थाई दुर्विनियोजन भी है। देरी से जमा करवाई गई राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–"ख"** पर दिया गया है। अतः मण्डल स्तर पर आय को देरी से जमा करवाए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही भविष्य में उप–मण्डल स्तर पर एकत्रित आय को शीघ्र अति शीघ्र मण्डल खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

9 TDS Panelty के रूप में ₹0.21 लाख का अनियमित भुगतान करना

वाउचर संख्या	दिनांक	राशि
56	19.9.2014	7580
58	19.9.2014	4980
59	19.9.2014	3955
60	19.9.2014	1167
83	24.9.2014	2880
	योग	₹20562

व्यय वाउचरों से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि भुगतान उपरोक्त वर्णित व्यय वाउचरों द्वारा "Misc. Unforseen Expenditure Account" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹20562 (7580+4980+3955+1167+2880) किया गया दर्शाया गया था। इस लेखा शीर्षक की आगामी पड़ताल करने पर पाया गया कि यह भुगतान आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11 और 2011–12 से सम्बन्धित स्त्रोत पर आयकर की कटौती (TDS) की विवरणिका (Return) पर Panel Interest हेतु वाउचर संख्या 56, 58, 59, 60 और 83 के अन्तर्गत भुगतान आयकर विभाग को जुर्माने हेतु किया गया था। नियमानुसार इस राशि को आयकर की कटौती (TDS) की विवरणिका पर (Return) पर चूक हेतु जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी से वसूल किया जाना चाहिए था, परन्तु ऐसा न करके आयकर विभाग द्वारा लगाई गई जुर्माने की राशि को हिमुड़ा निधि में से आयकर विभाग के पास जमा करवाया गया था। अतः आयकर की (TDS) की विवरणिका (Return) पर लगाई गई जुर्माने की ₹20562 को जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी से न वसूल करके हिमुड़ा निधि से आयकर विभाग के पास जमा करवाए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा जुर्माने की ₹20562 की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूल करके हिमुड़ा निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

10 बैंक समाधान विवरण

निर्माण मण्डल–II शिमला–9 की दिनांक 31.3.2015 को बैंक समाधान विवरणी के अवलोकन में पाया गया कि निर्माण मण्डल द्वारा जारी यू0को0 बैंक के चैकों की राशि का भुगतान सम्बन्धित व्यक्तियों को चैक की वास्तविक राशि से अधिक राशि के लिए किया गया। इस प्रकार निम्न विवरणानुसार निर्माण मण्डल के खाते से चैक की वास्तविक राशि से ₹172 का अधिक भुगतान किया गया था। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित माध्यम से करनी सुनिश्चित की जाए।

Vr. No.	Date/Cheque No.	Total Amount as per Cheque	Total Amount debited by the bank against Cheque	Excess payment	भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम
102	15.7.14 / 274269	585034	585090	56	श्री सुरेश शर्मा, Retd. Driver (Gratuity Payment)
	13.8.14 / 274472	600000	600056	56	श्री राकेश अवस्थी
	13.8.14 / 274270	943008	943068	60	श्री अश्वनी कपिला Retd. Suptd. (Gratuity Payment)
			Total	**₹172**	

11 **वाउचर संख्याः 23, दिनांक 4.9.2014, ₹2014182.19**

निर्माण का कार्य : C/O HC at Basal Phase-II (SH: C/O Shops cum Flats in Block i.e. 6 No. Shops and 6 Nos Flats)

संविदाकार का नाम : M/S ML Gupta & Associates.

अनुबन्ध संख्या : 6 of 2013-14

Abstract of Cost MB : 847 P. No. 67 to 90

गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹42680 का अधिक भुगतान करना

अनुबन्ध की मद संख्या 16 "RR Masonary in cm 1:6" की अंकेक्षण में जांच करने पर पाया गया कि 6th चलित बिल तक उक्त मद की कार्य मात्रा 1028.90m^3 के लिए ₹2750 प्रति घन मी0 की दर से कुल ₹2829475 का भुगतान किया गया था। 6th चलित बिल में MB 907P.No.48 पर संविदाकार द्वारा उपरोक्त मद का 90.19 घन मी0 का कार्य निष्पादित किया गया था, (Toe Wall left side of Block=16.32m^3 & Ramp 73.87m^3 Total 90.19m^3)। इस निष्पादित कार्य मात्रा की जांच करने पर पाया गया कि Ramp हेतु खुदाई केवल 2.10 मीटर चौड़ाई में की गई थी, साथ ही Ramp हेतु CC 1"6"12 भी 2.10 मीटर चौड़ाई में डाली गई थी, जैसा कि MB 907P.No.48 में दर्शाया गया था, जबकि "RR Masonary in cm 1:6" Ramp हेतु 3.10 मीटर चौड़ाई हेतु निष्पादित एवं भुगतान की गई थी। इस प्रकार संविदाकार को ₹42680 का अनियमित भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः इस अनियमित भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा इस अनियमित भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

मात्रा जो निष्पादित एवं भुगतान की गई थी।

Excavation in earth work (item No. 3) for Ramp (MB No. 907, P. No. 48

1X14.70X2.10X0.60=18.52m³

P/L CC 1:6:12 (item No. 8) for Ramp (MB No. 907, P. No. 48) 1X14.70X2.10X0.15=6.63m³

R/R Masonary in cm 1:6 in retaining wall/breast wall for Ramp (item No. 16 MB No. 907, P. No. 48

1st Step 1X14.70X2.10X0.45=20.51m³

2nd Step 1X1/2X14.70X[3.10+(2.85+2.95)/2]/2X2.42=53.36m³

Total (20.51m³+53.36m³)=73.87m³

2.10 मीटर चौड़ाई हेतु देय भुगतान

R/R Masonary in cm 1:6 in retaining wall/breast wall for Ramp (item No. 16 MB No. 907, P. No. 48

1st Step 1X14.70X2.10X0.45=13.89m³

2nd Step 1X1/2X14.70X[2.10+(2.85+2.95)/2]/2X2.42=44.46m³

Total (13.89m³+44.46m³)=58.35m³

अधिक भुगतान का विवरण

Excess Quantity	**(73.87m³-58.35m³)=**	**15.52m³**
Excess Payment	**15.52m³X2750 Per Cum**	**=42680**

12 वाउचर संख्याः 51, दिनांक 15.9.2014, ₹509303

निर्माण का कार्य : C/O Nos. Type II Quarter for Police Deptt. At Police Line Solan

संविदाकार का नाम : Sh. Mohan Singh Chauhan

अनुबन्ध संख्या : 13 of 2013-14

चलित बिल : 4th Running Bill

Abstract of Cost MB : Page No. 31 to 44 of MB No. 898

Window-2 और Door-3 का गलत साईज लिए जाने के कारण संविदाकार को अनुबन्ध की मद संख्या 24 Prov. Wood Work in Frames हेतु ₹0.12 लाख का अधिक भुगतान

अनुबन्ध की मद संख्या 24 "Providing Wood Work in frames of Doors, Windows" के सन्दर्भ में 4th Running Bill तक कुल 3.25m³(3rd Running Bill तक 1.59m³ और 4th Running Bill में 1.66m³) कार्य मात्रा 81000(FR) प्रति घन मी0 (PR 80000) की दर से निष्पादित एवं भुगतान की गई थी। इस मद से सम्बन्धित भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि Approved Drawing की तुलना में MB 896 Page No. 4 पर Windows-W2 और Door-D3 का अधिक साइज लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप संविदाकार को अनुबन्ध की मद संख्या 24 के लिए ₹12474 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है। अतः

इस गलत भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा इस राशि की वसूली संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Abstract of Cost MB	Record MB No.	Size as per Approved Drawing	Deduction from Bricks work	Wood Work recorded & paid to the Contractor	Calculation of wood work to be paid as per approved drawing and bricks work deduction	Excess
898/13, P. No. 39	896/13, P. No. 45	For Window-W2 1.20X1.65	For W2=1X1.20X0.23X1.65 =0.46m³	For W2= H=4X3X1.80=21.60Rmt V=4X4X1.85=29.60Rmt Total =51.20Rmt Qty for 1 No. Qtr= 51.20RmtX0.12X0.06=0.368 m³ Qty for 2 Nos Qtr= 0.368m³X2=0.736m³	For W2= H=4X3X1.20=14.40Rmt V=4X4X1.65=26.40Rmt Total =40.80Rmt Qty for 1 No. Qtr= 40.80RmtX0.12X0.06=0.293 m³ Qty for 2 Nos Qtr= 0.293m³X2=0.5860m³	0.150m³
				For D3= H=3X1X0.90=02.70Rmt V=3X2X2.10=12.60Rmt Total =15.30Rmt Qty for 1 No. Qtr= 15.30RmtX0.095X0.06=0.087 m³ Qty for 2 Nos Qtr= 0.087m³X2=0.174m³	For D3= H=3X1X0.80=02.40Rmt V=3X2X2.10=12.60Rmt Total =15.00Rmt Qty for 1 No. Qtr= 15.00RmtX0.095X0.06=0.085m³ Qty for 2 Nos Qtr= 0.087m³X2=0.170m³	0.004m³
					Total	0.154m³

Total Excess Payment on a/c of item No. 24 0.154m³X81000=12474

12.1 अनुबन्ध की मद संख्या 18 "Bricks Work" से Windows-1 के साइज की कम कटौती किए जाने के कारण संविदाकार को ₹648 का अधिक भुगतान

उपरोक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अनुबन्ध की मद संख्या 18 "Bricks Work using 2nd class common brunt clay building bricks in superstructure" के सन्दर्भ में 4th Running Bill तक कुल 61.28m³(3rd Running Bill तक 25.00m³ और 4th Running Bill में 36.28m³) कार्य मात्रा 5400(FR) प्रति घन मी0 (PR 5300) की दर से निष्पादित एवं भुगतान की गई थी। इस मद से सम्बन्धित भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि Brick Work से Windows-W1 के साइज की कम कटौती किए जाने के कारण संविदाकार को अनुबन्ध की मद संख्याः 18 के सम्बन्ध में ₹648 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है। अतः इस गलत भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा इस राशि की वसूली संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Abstract of Cost MB	Record MB No.	Size as per Window-1 as per Approved Drawing	Deduction from Bricks work	Calculation of Deduction as per Audit	Difference
898/13, P. No. 37	896/13, P. No. 41	For W1 0.90X1.85	For W1=1X0.75X0.23X1.85 =0.32m³	For W1= 3X0.90X0.23X1.85=0.38m³	0.06m³

For 2 No. Qtrs 2X0.06m³ the deduction should be **0.12m³**

Total Excess Payment on a/c of item No. 18 **0.12m³X5400=648**

13 वाउचर संख्याः 64, दिनांक 20.9.2014, ₹6863091

निर्माण का कार्य : **C/O 32 Nos. Cat. I Flats (Block No. 22 to 25) with garages/Parking Floor i/c int. WS&SI and Dev. of site at Basal**

संविदाकार का नाम : **M/s Unipro**

अनुबन्ध संख्या : **9 of 2013-14**

चलित बिल : **5th to 10th Running Bill**

Abstract of Cost MB : Page No. 58 to 100 of MB No. 935/2014 & Page No. 1 of 17 of MB No. 933/2014

उपरोक्त निर्माण कार्य के दिनांक 31.3.2015 तक भुगतान किए गए सभी चलित बिलों की अंकेक्षण में विस्तृत जांच की गई, जिनमें निम्न आपत्तियां पाई गई

Approved Drawing की तुलना में अनुबन्ध की मद संख्या 50 i.e. P/F M.S black Sheet eaves board/facia/soffit/ceiling का size अधिक लेने के कारण संविदाकार को ₹0.39 लाख का अधिक भुगतान

अनुबन्ध की मद संख्या 50 i.e. P/F M.S black Sheet eaves board/facia/soffit/ceiling के सन्दर्भ में उपलब्ध अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य में Approved Drawing की तुलना "Soffit" की चौड़ाई अधिक लेने के कारण संविदाकार को ₹32714 का अधिक भुगतान किया गया। इस अधिक भुगतान का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है। अतः इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली संविदाकार से सुनिश्चित की जाए।

Abstract of Cost MB No.	As per Approved Drawing	item No. 50 i.e. P/F M.S Sheet for Block No. 22 paid and recorded in MB No. 903 P. No. 31	Calculation of item No. 50 on the basis of Approved Drawing	Excess Qty.
902, P. No. 87	110.90X0.30=33.27m²	110.90X0.50=55.45m²	110.90X0.30=33.27m²	22.18m²
	4X1.80X0.30=2.16m²	4X1.80X0.90=6.48m²	4X1.80X0.30=2.16m²	4.32m²
	2X1.35X0.30=0.81m²	2X1.35X1.50=4.05m²	2X1.35X0.30=0.81m²	3.24m²
			Total Excess Qty Paid	**29.74m²**
		Total Excess payment to Contractor 29.74m²X1100 per sqm		**=32714**

13.1 Item No. 4(b) i.e. Form Work की तुलना में Item No. 9 i.e. P/L CC M-20 in Flat Surfaces का संविदाकार को ₹0.19 लाख का अधिक भुगतान

निर्माण कार्य के सन्दर्भ में अनुबन्ध की मद संख्या 4(b) i.e. Form Work in Flat Surfaces Block No. 22 की तुलना में अनुबन्ध की मद संख्या 9(b) i.e. P/L CC M-20 in Flat Surface की जांच करने पर पाया गया कि Form Work की तुलना में CC M-20 का अधिक भुगतान किया गया था, क्योंकि बिना Form Work के CC M-20 नहीं डाला जा सकता। इस प्रकार Form Work की तुलना में CC M-20 की संविदाकार को ₹18768 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका पूर्ण

विवरण निम्न दिया गया है। अतः इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली संविदाकार से सुनिश्चित की जाए।

Abstract of Cost MB	Record MB No.	item No. 4(b) i.e. Form Work in Flat Surfaces paid & recorded in MB No. 819 P. No. 96	item No. 9 i.e. P/L CC M-20 in Flat Surfaces paid and recorded in MB No. 819 P. No. 98	Calculation of CC M-20 by Audit on the basis of Form Work	Excess Qty.
902 P. No. 78	819 for Block No. 22	S/Hall Water Tank=1X2.10X4.96=10.42m²	S/H Water Tank= 1X4.80X4.96X0.15=3.57m³	S/H Water Tank= 1X2.10X4.96X0.15=1.56m³	2.01m³
		S/Hall Projection =1X2.10X0.30=0.63m²	S/Hall Projection =1X2.10X0.60X0.15=0.18m²	S/Hall Projection =1X2.10X0.30X0.15=	0.09m³
		Slab for RWHT for Block No. 22,23,24 (3 No. 3X2.55X1.45=11.09m²	Slab for RWHT for Block No. 22,23,24 (3 No. 3X3.06X1.96X0.23=4.13m²		1.58m³
				Total	**3.68m³**

Total Excess Payment to Contractor 3.68m³X5100 Per Cum =18768

13.2 गलत गणना किए जाने के कारण अनुबन्ध की मद संख्या 48 i.e Steel Work welded in built up section का संविदाकार को ₹864 का अधिक भुगतान

अनुबन्ध की मद संख्या 48 i.e Steel Work welded in built up section की अंकेक्षण में जांच करने पर पाया गया कि गलत योग लगाए जाने के कारण इस मद के सम्बन्ध में संविदाकार को ₹864 का भुगतान किया गया। इस भुगतान का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है। अतः अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली संविदाकार से सुनिश्चित की जाए।

Recording MB No. 695 P. No. 60 to 63 For Block No. 22
Angle 35X35X5 के सम्बन्ध में कुल योग लिया गया 374.45 Rmt जबकि सही योग जो लिया जाना चाहिए था=369.95Rmt अधिक लिया गया योग 374.45 Rmt=4.5Rmt अधिक भुगतान=4.5 Rmt X 2.60KG=11.70kg or say 0.1170 Qtl or 0.12 Qtl =0.12Qtl X7200 Per Qtl.=864

14 वाउचर संख्याः 66, दिनांक 20.9.2014, ₹9181167

निर्माण का कार्य : C/O PSFS(Chhabroti)(SH: 18 Nos Cat-I 6 No. Cat-II 24 No. Cat-III Flats)

संविदाकार का नाम : M/S M.L. Gupta & Associates

अनुबन्ध संख्या : 13 of 2007-2008

10cc Claim

संविदाकार को 10 CC दावे के रूप में ₹0.18 लाख का अधिक भुगतान

निमयानुसार पूर्व वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में वर्णित निर्माण कार्य से सम्बन्धित अधिक भुगतान के मामले, जिनकी उस निर्माण कार्य से सम्बन्धित आगामी चलित बिलों में, जिनका भुगतान

अंकेक्षण के बाद किया गया था, से वसूली कर दी गई हो, को संविदाकार के Gross Value of Work Done में से कम दर्शाकर 10 cc दावे की गणना करनी चाहिए। संविदाकार को 10 cc दावे के सम्बन्ध में किए गए भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि ऐसी अंकेक्षण आपत्तियां जिनके सम्बन्ध में संविदाकार के चलित बिल से वसूली कर ली गई थी, को Gross Value of Work Done में से कम नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 10cc दावे का ₹18296 का अधिक भुगतान किया गया। इस अधिक भुगतान का विवरण परिशिष्ट–ग पर दिया गया है। अतः ₹18296 के अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा इस राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

15 वाउचर संख्या :80, दिनांक 23.9.2014, ₹23,76,274

निर्माण का कार्य : C/O PSFS at Chhabroti Kasumpati, Shimla Group-III

संविदाकार का नाम : Sh. Grish Gupta

अनुबन्ध संख्या : 11 of 2007-2008

Abstract of Cost MB : 867 P. No. 6 to 56

अनुबन्ध की मद संख्या 30 (Annexure-B) i.e. “Cutting Hole through existing Brick/Stone Work in CC 1:6” की गलत दर लगाए जाने के कारण संविदाकार को ₹3036 का अधिक भुगतान

अनुबन्ध की मद संख्या 30 (Annexure-B) i.e. “Cutting Hole through existing Brick/Stone Work in CC 1:6” की अंकेक्षण में जांच करने पर पाया गया कि 20th चलित बिल तक 6072cm के लिए ₹2 प्रति सै0मी0 की दर से कुल ₹12144 का भुगतान किया गया था। इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि Award Letter संख्याः HBS(SD-II)A-264/2007-1472-79 DT. 5.6.2007 द्वारा उपरोक्त अनुबन्ध की मद संख्या 30 (Annexure-B) का रेट ₹1.50 Per cm depth of cutting निर्धारित किया गया था, जबकि MB No. 867 P. No. 52 पर इस मद के लिए संविदाकार को ₹2 Per cm depth of cutting दिया गया था। इस प्रकार संविदाकार को ₹3036 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

20th चलित बिल तक निष्पादित मात्रा	6072cm
दर जिसके अनुसार संविदाकार को भुगतान किया गया	2 Per cm depth of cutting
कुल भुगतान 6072cm X 2 Per cm depth of cutting	=12144

भुगतान जो किया जाना चाहिए था 6072cm X 1.50 Per cm =9108
depth of cutting

अधिक भुगतान =3036

15.1 अनुबन्ध की क्लाज–2 के अन्तर्गत कार्रवाई करने एवं जुर्माने की राशि निर्धारित करने के बाद भी जुर्माने की ₹30,57,985 की वसूली संविदाकार से न करने बारे

उपरोक्त निर्माण कार्य का आवंटन श्री गिरीश गुप्ता को पत्र संख्या HBS(SD-II)A-264/2007-1472-79 dated. 5.6.2006 से किया गया था। इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने की अवधि 18 माह थी। संविदाकार द्वारा समय पर कार्य निष्पादित न करने के कारण Superintending Engineer(S), HIMUDA, Kasumpati, Shimla-9 द्वारा अनुबन्ध की क्लाज–2 के अन्तर्गत कार्रवाही करते हुए पत्र संख्या HIMUDA/15-292/6-SE(S) Vol.-II-3132-35 Dt. 31.12.2008 द्वारा संविदाकार पर अनुबन्ध की राशि के 4% के बराकर ₹30,57,985 प्रतिपूर्ति राशि (Compensation Amount) लगाई **(परिशिष्ट–घ)** तथा साथ ही इस सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही करने के आवश्यक निर्देश Executive Engineer Himuda Division-II को दिए, परन्तु वर्तमान समय तक इस राशि को वसूल करने हेतु किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया। अतः संविदाकार से अनुबन्ध की क्लाज–2 के अन्तर्गत ₹3057985 की प्रतिपूर्ति वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा साथ ही इस राशि की वसूली शीघ्र अति शीघ्र सुनिश्चित की जाए।

16 वीप होल्स की कार्य मद का अलग भुगतान करने से आर0आर0 मैसनरी की मात्रा के लिए संविदाकार को ₹0.26 लाख का अधिक भुगतान

निर्माण मापदण्डों के अनुसार आर0आर0 मैसनरी के भुगतान के समय आर0 आर0 मैसनरी की देय मात्रा में से वीप होल्स हेतु प्रयोग 100mm पी0वी0सी0 पाईप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा की कटौती की जानी अपेक्षित थी, क्योंकि वीप होल्स को लगाने के स्थान पर आर0आर0 मैसनरी की मात्रा प्रयोग नहीं की जाती। निम्न निर्माण कार्यों के विभिन्न चलित बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि आर0आर0 मैसनरी की देय कार्य मात्रा में से वीप होल्स में प्रयोग 100mm पी0वी0सी0 पाइप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा कटौती नहीं की गई थी। इस प्रकार संविदाकारों को ₹26383 का आर0आर0 मैसनरी हेतु अधिक भुगतान किया गया था। अतः इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली संविदाकार से सुनिश्चित की जाए।

Name of Work	Running Bill No.	MB No./ P. No.	Qty. of Weep Hole Paid	Qty. of Weephole in cubic metre that should be deducted from the Qty. of RR Masonary	Rate of RR Masonary Paid to Contractor per cubic metre	Total Excess payment paid to Contractor
C/o Nos. Type II	4th	898 पृ0	64.81 RMT	0.509 घन मी0	₹2800 प्रति	₹1425 [0.

Quarter for Police Deptt. At Police Line Solan		सं0 39		[22/7X0.05X0.05 RMT]	घन मी0	509 घन मी0 X ₹2800]
C/o HC at Basal Phase-II (SH: C/o Shops cum Flats in Block i.e. 6 No. Shops and 6 Nos Flats	6th	847 पृ0 सं0 85	304.25 RMT	2.39 घन मी0 [22/7X0.05X0.05X304.25RMT]	₹2750 प्रति घन मी0	₹6573 [2.39 घन मी0 X ₹2750]
C/o 32 Nos. Cat. I Flats (Block No. 22 to 25) with garages/Parking Floor i/c int. Ws&SI and Dev. Of site at Basal	10th	935 पृ0 सं0 95	572.39 RMT	4.49 घन मी0 [22/7X0.05X0.05X572.39RMT]	₹2050 प्रति घन मी0	₹9205 [4.49 घन मी0 X ₹2050]
C/o PSFS at Chhabrogti Kasumpati Shimla Group-III	20th	867 पृ0 सं0 54	649.65 RMT	5.10 घन मी0 [22/7X0.05X0.05X3649.65RMT]	₹1800 प्रति घन मी0	₹9180 [5.10 घन मी0 X ₹1800]
					Total	**₹26383**

17 अनुबन्ध प्रमात्रा से अत्याधिक कार्य निष्पादन करने के परिणामस्वरूप विभिन्न निर्माण कार्यों में संविदाकारों को ₹32.34 लाख का अनियमित भुगतान

निम्न निर्माण कार्यों के आवंटन पत्र की शर्त के अनुसार "No deviation is permissible at site without the prior written approval on the Competent Authority"। इन निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न चलित बिलों की जांच करने पर पाया गया कि बिलों की निम्न मदों के सम्बन्ध में अनुबन्ध में निर्धारित प्रमात्रा से अधिक प्रमात्रा हेतु कार्य निष्पादित एवं भुगतान किया गया। उक्त मदों की अधिक प्रमात्रा में निष्पादन हेतु कोई अनुमति/स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप इन मदों पर विभिन्न चलित बिल तक ₹3234110 का अनियमित व्यय किया गया था, जोकि आवंटन पत्र की शर्तों का सीधा उल्लंधन था। अतः अनुबन्ध में निर्धारित प्रमात्रा से अधिक मात्रा का भुगतान संविदाकारों को करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा साथ ही इन मदों पर किए गए अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

निर्माण कार्य का नाम	कार्य मद सं0 एवं कार्य मद का संक्षिप्त नाम	मापपुस्तिका/पृ0 सं0	कार्य की मात्रा अनुबन्ध अनुसार	किए गए कार्य की मात्रा	भुगतान दर	Excess मात्रा	किया गया भुगतान	Excess in %
C/o HC at Basal Phase-II (SH: C/o	6, P/L cc 1:4:8	847,71	23.50m³	44.62m³	2600 per cum	21.12m³	54912.00	89.87

Shops cum Flats in Block i.e. 6 No. Shops and 6 Nos Flats								
	6, P/L RR Masonary	847,74	436.75m³	1028.90m³	2750 per cum	592.15m³	1628412.50	135.58
C/o 4 Nos. Type II Quarter for Police Deptt. At Police Line Solan	11(b), Suspended Floor, roof, landing etc	898/13, P.No.36	34.42m³	54.75m³	5140 per cum	20.33m³	104496.20	59.06
C/o PSFS at Chabrogti Kasumpati Shimla-09 (SH: C/o 3 Nos Cat-II (Block No. 29 & 30) with Parking Floor)	1, Cutting in earth work	908/13, P.No.32	850.47m³	2347.76m³	250 per cum	1497.2m³	374322.50	176.05
	2, Excavation in foundation, trenches	908/13, P.No.39	667.07m³	807.46m³	250 per cum	140.39m³	35098.00	21
	13(e) P/L M-20 in walls	908/13, P.No.39	19.19m³	134.06m³	5180 per cum	114.87m³	595026.00	598.59
	14, P/L M-20 in cm 1:3	908/13, P.No.40	9.68m³	14.03m³	6000 per cum	4.35m³	26100.00	44.94
C/o PSFS at Chhabrogti Kasumpati , Shimla Group-III	3, Excavation in drains and Channel etc.	867,8	94.96m³	190.48m³	156 per cum	95.52m³	14901.12	100.58
	6, P/L CC 1:4:8	867,11	160.94m³	253.55m³	1950 per cum	92.61m³	180589.50	57.54
	13, P/L CC	867,13	23.26m³	55.65m³	6800	32.39m³	220252.00	139.25

M-20	per cum	
		Total ₹3234110.42

18 निर्माण कार्यों में प्रयोग की गई लकड़ी की खरीद के बिल एवं अन्य प्रमाण प्रस्तुत न करना

अनुबन्ध की General Specification & Conditions संख्या 13 के अनुसार "The contractor shall have to purchase the timber to be used on works from an authorized dealer/agency and he would produce necessary receipts/vouchers as a proof before releasing the payment of the wood work"। निम्न निर्माण कार्यों में अनुबन्ध की मद "Providing wood work in frames of Doors, Windows etc." का भुगतान संविदाकारों को किया गया था। इस मद के निष्पादन में प्रयोग की गई लकड़ी की खरीद के सम्बन्ध में संविदाकारों द्वारा प्रस्तुत बिल इत्यादि अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। अतः अनुबन्ध की उपरोक्त वर्णित शर्त के अनुसार निर्माण कार्य के लिए प्रयोग की गई लकड़ी की खरीद का बिल इत्यादि प्रस्तुत न किए जाने से लकड़ी के कार्य हेतु संविदाकार को भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा साथ ही भविष्य में अनुबन्ध की उपरोक्त वर्णित शर्त अनुसार लकड़ी के कार्य हेतु भुगतान करने से पूर्व लकड़ी की खरीद से सम्बन्धित अभिलेख संविदाकारों से लिया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Name of work	Running Bill No.	MB No. /P. No.	Qty of Wood work paid
C/o HC at Basal Phase-II(SH: C/o Shops cum Flats in Block i.e. 6 No. Shops and 6 Nos Flats)	6th	847 P. No. 67 to 90	7.36 घन मी0
C/o 4 Nos. Type II Quarter for Police Deptt. At Police Line Solan	4th	MB No. 898 Page No. 31 to 44	3.35 घन मी0
C/o 32 Nos. Cat. I Flats (Block No. 22 to 25) with garages/Parking Floor i/c int. Ws&SI and Dev. of site at Basal	5th to 10th Running Bill	Page No. 58 to 100 of MB No. 935/2014 & Page No. 1 of 17 of MB No. 933/2014	35.87 घन मी0
C/o PSFS at	4th	MB No. 908 of	5.403 घन मी0

Chabrogti Kasumpati Shimla-09 (SH: C/o 3 Nos. Cat-II (Block No. 29 & 30) with Parking Floor		Page No. 31 to 54	
C/o PSFS at Chhabrogti Kasumpati, Shimla Group-III	20th	MB No. 867 of P. No. 6 to 56	39.056 घन मी0

19 चलित बिलों से सर्विस टैक्स की ₹0.48 लाख की कटौती के उपरान्त संविदाकार को वापिस भुगतान करना

निर्माण का कार्य : PSFS at Chhabroti Kasumpati(Chabroti), Shimla-09 (SH: C/o 3 Nos Transformer Room i/c Development of site near Block No. 3,15 & 21)

संविदाकार का नाम : M/s ML Gupta

Date of Award : 11.7.2011

Date of Commencement : 26.7.2011

Date of Completion : 25.1.2012

Actual Date of Completion : 3.9.2014

CEO cum Secretary Himuda के कार्यालय ज्ञापन संख्या HIMUDA/Acctts.-BSS/Service Tax/2006-Dt. 18.6.2013 के क्रम संख्या : 5 के अनुसार "Service Tax will be deducted and deposited to the concerned deptt. on all works with Contractor for carrying out construction, addition, alteration, repair, maintenance, renovation, installation etc. w.e.f 1.7.2012"। उपरोक्त निर्माण कार्य के सन्दर्भ में अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि संविदाकार के 1st चलित बिल से 5th चलित बिल तक Service Tax की कोई कटौती नहीं की गई थी। 6th चलित बिल से कुल ₹47909 की Service Tax की कटौती की गई थी, जबकि उपरोक्त वर्णित कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 1.7.2012 से संविदाकार के सभी चलित बिलों से Service Tax की कटौती आवश्यक थी। अवधि 1.7.2012 से 3.9.2014 के दौरान संविदाकार को निम्न चलित बिलों का भुगतान किया गया था। साथ ही 6th चलित बिल से Service Tax की कटौती करने के उपरान्त वाउचर संख्या : 105, दिनांक 26.2.2014 से Service Tax की कटौती की गई ₹47909 को संविदाकार को इस आधार पर वापिस कर दिया गया कि यह निर्माण कार्य Service Tax के दायरे में नहीं आता। इसके अतिरिक्त 6th चलित बिल के उपरान्त 7th एवं अन्तिम चलित बिल से ₹3415 के Service Tax की कोई कटौती नहीं की गई। इस प्रकार

कुल ₹51324 (47909+3415) के Service Tax की कटौती संविदाकार के चलित बिलों से न करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 39/2016, दिनांक 18.2.2016 से Service Tax की कटौती की गई राशि को संविदाकार को वापिस करने एवं Service Tax की कटौती न करने बारे आवश्यक सूचना मांगी गई थी। इस अंकेक्षण अधियाचना के प्रति उत्तर में पत्र संख्याः HBS(SD-II)A-Audit Para/2014-4574 Dt. 23.2.2016 से सूचित किया गया कि "Work Contract" means a contract where in transfer of property in goods involved in the execution of such contract is livable to tax as sale of goods. Against work of 3 Nos. Transformer Room property was neither involved nor sold as such it was not covered under the ambit of Service Tax" **(परिशिष्ट–च)** अधिशाषी अभियन्ता का यह कथन कि उपरोक्त निर्माण कार्य Service Tax के दायरे में नहीं आता, अंकेक्षण को मान्य नहीं है, क्योंकि उपरोक्त निर्माण कार्य PSFS at Kasumpati (Chabroti) Shimla-09 के आवंटियों हेतु बिजली की सप्लाई करने हेतु किया गया था और इस कार्य की निर्माण लागत को PSFS at Kasumpati (Chabroti) Shimla-09 की लागत में शामिल किया जाएगा और भविष्य में आवंटियों से वसूला जाएगा। इस प्रकार से यह निर्माण कार्य एक Commercial Activity का हुआ है और परिणामस्वरूप इस निर्माण कार्य पर Service Tax की कटौती करके इसे सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित था, परन्तु ऐसा न करके निर्माण मण्डल द्वारा संविदाकार के चलित बिलों से Service Tax की कटौती करके उसे संविदाकार को वापिस करके ₹51324 (47909+3415) का अनुचित लाभ प्रदान किया गया। अतः ₹47909 के Service Tax की कटौती किए जाने के पश्चात उसे संविदाकार को वापिस किए जाने साथ ही ₹3415 के Service Tax की कटौती न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

Running Bill No.	Gross Value of Work Done (i.e Total Value of Work Done Already Paid)	Date of Payment	Amount of Service Tax due
4th	655884.56	15.10.2012	16213.47
5th	884895.13	16.1.2013	21874.61
6th	397322.02	23.9.2013	9821.80
7th	138120.3	3.9.2014	3414.33
Total			**51324.21**
or Say			**51324.00**

20 Service Tax की ₹4.27 लाख को सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाया जाना

संविदाकारों के चलित बिलों से निमयानुसार Service Tax की कटौती की ₹427241 को Custom & Central Excise Deptt. में जमा नहीं करवाया गया था। संविदाकारों के चलित बिलों से

Service Tax की राशि को कटौती करके सम्बन्धित विभाग में जमा न किया जाना आपत्तिजनक ही नहीं अपितु एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता भी है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि Service Tax की कटौती की गई राशि को देरी से भी सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया गया था। ऐसे कुछेक मामलों का विवरण निम्न दिया गया है। अतः Service Tax की संविदाकारों के चलित बिलों से कटौती करने के उपरान्त सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कटौती की गई Service Tax की राशि को शीघ्र सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Month in which the amount of tax deducted from the Running Bill of Contractor	Amount Service Tax Deducted	Date of Deposit of Service Tax	Amount of Service Tax Deposited with the Central Custom & Excise Deptt.	Amount of Service Tax not deposited till 31.3.2015
23.4.2014	191051	-	-	-
23.4.2014	30447	-	-	-
23.4.2014	202478	-	-	-
19.6.2014	76655	2.7.2014	500631	0
3.7.2014	74512	-	-	-
14.7.2014	146937	-	-	-
4.9.2014	49790	-	-	-
11.9.2014	47553	-	-	-
20.9.2014	169656	-	-	-
23.9.2014	58742	7.10.2014	547140	50
1.11.2014	151220	-	-	-
1.11.2014	31666	-	-	-
5.12.2014	107951	-	-	-
11.12.2014	49903	-	-	-
27.1.2015	2145	-	-	-
31.1.2015	19438	-	-	-
28.2.2015	35827	-	-	-
26.3.2015	28967	-	-	-
31.3.2015	74	-	-	427191
Total	**₹1475012**		**₹1047771**	**₹427241**

21 वर्ष के Trial Balance और सम्बन्धित Ledger Accounts में अन्तर बारे

लेखांकन के मान्य नियमों के अनुसार Trail Balance में दर्शाए गए विभिन्न खातों का अन्तिम शेष लेखा खातों (Ledgers) के अन्तिम शेष के अनुसार होना चाहिए। निर्माण मण्डल के Trail Balance और सम्बन्धित Ledger Accounts का मिलान करने पर पाया गया कि निम्न लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाए गए खातों का अन्तिम शेष Trial Balance में दर्शाए गए अन्तिम शेष से

मेल नहीं खाते थे, जिससे यह ज्ञात होता है कि निर्माण मण्डल के इन दोनों लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत खातों में दर्शाई गई वित्तीय लेन–देन सही प्रकार से लेखांकित नहीं किए गए थे। अतः लेखा खातों में सही प्रकार से वित्तीय लेन–देन का लेखांकन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा साथ ही भविष्य में इस तरह कि चूक से परिहार किया जाए।

Detail of Difference between Trial Balance and Ledger Account

Sr. No.	Name of Accounting Head	Name of Contractor	Balance shown in Trial Balance	Balance as per Ledger Account	Difference	Ledger Page No.
1	Earnest Money & Security Deposit Account	Sh. Chetan Sharma	50275.00 Dr.	137075.00 Dr.	86800	335
2	Earnest Money & Security Deposit Account	Sh. C.P. Sharma	59720.00 Dr.	29080.00 Dr.	30640	337

22 अग्रिमों का बिल वाउचरों के बिना समायोजन किए जाने बारे

स्टॉक अभिलेख वर्ष 2014–15 की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित समायोजन वाउचरों द्वारा विविध अग्रिमों का विभिन्न फर्मों के नाम समायोजन किया गया था, परन्तु समायोजन से सम्बन्धित बिल वाउचर, जिसके आधार पर अग्रिम राशियों का समायोजन किया गया था, वाउचरों के साथ संलग्न नहीं थे, अपितु समायोजन वाउचरों में केवल GR संख्या अंकित की गई थी। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित GR के साथ भी बिल वाउचर संलग्न नहीं थे, जिसके अभाव में अग्रिम राशियों के समायोजन की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः बिना बिल वाउचर प्राप्त किए अग्रिम राशियों का समायोजन किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही इन सभी अग्रिम राशियों से सम्बन्धित बिल वाउचर ए0पी0आर0 इत्यादि आगामी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं और भविष्य में अग्रिम राशियों के समायोजन वाउचर में बिल वाउचर इत्यादि संलग्न किए जाने भी सुनिश्चित किए जाए।

माह	समायोजन वा0 सं0	समायोजित की गई राशि	GR संख्या, जिसके आधार पर अग्रिम राशियों का समायोजन किया गया था
April 2014	J-1	182045	99, 100, 351, 352 (P/o 48 MT Cement)
	J-2	421558	126, 127, 128, 124, 125, 123, 122 (P/o 107 MT Cement)
	J-9	124539	98 (P/o Tor Steel)

May 2014	J-7	468835	130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 (P/o 119 MT Cement
	J-8	101860	353, 354 (P/o 27 MT Cement)
June 2014	J-12	80598	137, 138 (P/o 20 MT Cement)
August 2014	J-9	605192	139,140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 (P/o 2800 Bags Cement)
	J-10	389052	147, 148, 149, 150, 151 (P/o 1200 Bags Cement)
	J-11	248520	356, 357, 358, 359, 360 (P/o 1200 Bags Cement)
Sept 2014	J-9	259368	152, 153, 154, 156, 157 (P/o 1400 Bags Cement)
	J-12	248520	363, 364, 366, 367, 368 (P/o 1200 Bags Cement)
	J-14	566572	365 (P/o Tor Steel)
Oct 2014	J-2	432280	158, 159, 160, 161 (P/o 2000 Bags Cement)
	J-10	165680	369, 370, 372 (P/o 800 Bags Cement)
	J-11	274116	371 (P/o Tor Steel)
Nov. 2014	J-8	167226	162 (P/o Tor Steel)
	J-13	248520	374, 375, 376, 377 & 378 (P/o 1200 Bags Cement)
	J-14	972487	373, 379, 380 (P/o Tor Steel)
Dec. 2014	J-11	207100	382, 383, 384 (P/o 1000 Bags Cement)
	J-12	412436	381 (P/o Steel)
Jan. 2015	J-5	103425	386, 387, 388, 389 (P/o Tor Steel)
Feb. 2015	J-13	124260	394, 392, 393 (P/o 600 Bags Cement)
Mar 15	J-4	432280	166,167 (P/o 2000 Bags Cement)
	J-11	207100	395, 396, 397, 398 (P/o 1000 Bags Cement)
	कुल योग	**₹7445569**	

23 सब–डिविजन सोलन की Stock Statement और सम्बन्धित Bin Card के शेषों में अन्तर

लेखांकन के मान्य नियमों के अनुसार Bin Card में दर्शाए गए विभिन्न स्टॉक मदों का अन्तिम शेष और स्टॉक विवरणिका (Stock Statement) में दर्शाए गए अन्तिम शेष का आपस में मिलान होना चाहिए। सब–डिविजन सोलन द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत स्टॉक विवरणिका (Stock Statement) और सब–डिविजन सोलन के विभिन्न बिन कार्डो में दर्शाए गए अन्त शेष से मेल नहीं खाते थे, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सब डिविजन द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत स्टॉक विवरणिका को सम्बन्धित बिन कार्डों से नहीं बनाया गया था। अतः लेखा खातों में सही प्रकार से वित्तीय लेन–देन लेखांकन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा साथ ही भविष्य में इस तरह की चूक से परिहार किया जाए।

Detail of Difference between Stock Statement and Bin Card

Sr. No.	Name of Item	Balance as per Statement	Balance as per Bin Card	Difference	Bin Card No.
1	Cement	1430 Bags	1030 Bags	400 Bags	247
2	Tor Steel 8mm	12.97 MT	12.015 MT	0.956 MT	244
3	Tor Steel 10mm	12.353 MT	10.700 MT	1.653 MT	248
4	Tor Steel 12mm	11.392 MT	9.940 MT	1.452 MT	242
5	Tor Steel 6mm	34.953 MT	29.983 MT	4.970 MT	249

24 वाहन संख्याः HP-03–0030 की Out Turn की ₹0.11 लाख को अनियमित रूप से निर्माण कार्यों को चार्ज किए जाने बारे

वाहन संख्याः HP-03–0030 की लॉग बुक–II की अंकेक्षण में जांच करने पर पाया गया कि वाहन द्वारा दिनांक 14.9.2014 और 15.9.2014 को कुल 384 किलो मीटर की यात्रा की गई थी, परन्तु लॉग बुक में इस यात्रा का कोई ब्यौरा जैसे कि उद्धेश्यों, अधिकारी का नाम इत्यादि लेखांकित नहीं किया गया था। लॉग बुक में यात्रा के सम्बन्ध में कोई विवरण न दिए जाने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि लॉग बुक केवल ईधन को समायोजित करने के लिए लेखांकित की गई थी। इस प्रकार कुल Out Turn की ₹10660 (384KM X 27.16=10660) को अनियमित रूप से निर्माण कार्यों को चार्ज किया गया था। अतः वाहन की लॉग बुक निमयानुसार लेखांकित न किए जाने बारे और वाहन की ₹10660 की Out Turn को अनियमित रूप से निर्माण कार्यों को चार्ज किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

25 कर्मचारियों के अर्जित अवकाश खाते में से व्यतीत की गई अर्जित अवकाश अवधि को कम न किए जाने बारे

निर्माण मण्डल के कर्मचारियों के अर्जित अवकाश खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न कर्मचारी द्वारा व्यतीत की गई अर्जित अवकाश की अवधि को सेवा पंजिका में अर्जित अवकाश खाते से कम नहीं किया गया था। अतः कर्मचारी के अर्जित अवकाश के खाते को अर्जित अवकाश अवधि से कम न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही अब कर्मचारी के अर्जित अवकाश खातों को अर्जित अवकाश अवधि से कम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Name of Employee	Period for which Earned Leave Account Not debited.
Sh. Prem Lal, J.E	16.4.2003 to 30.4.2003-15 Days 1.5.2007 to 31.5.2007-31 Days

26 मकान किराया भत्ते के रूप में ₹0.38 लाख अनियमित भुगतान किए जाने बारे

नियमानुसार यदि किसी सरकारी कर्मचारी के पति या पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हों और एक ही मकान में रहते हों तो मकान किराए भत्ते का मासिक भुगतान किसी एक कर्मचारी को किया

जाएगा तथा साथ ही मकान किराए भत्ते का भुगतान प्राप्त करने से पूर्व पति एवं पत्नी का संयुक्त घोषणा पत्र, जोकि उनके विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, प्राप्त किया जाना अपेक्षित है, परन्तु निर्माण मण्डल के वेतन बिलों की पड़ताल में पाया गया कि निम्न कर्मचारियों के मामले में इस नियम का पूर्णतया पालन नहीं किया गया था। इस प्रकार अपेक्षित घोषणा पत्र प्राप्त किए बिना ही अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 तक के दौरान इन कर्मचारियों को ₹38400 का मकान किराए भत्ते का अनियमित भुगतान किया गया था। इस सम्बन्ध में उपरोक्त नियम का पूर्णतया पालन करते हुए मकान किराए भत्ते का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए और आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

कर्मचारी का नाम व पदनाम	कर्मचारी के पति/पत्नी का नाम	विभाग जिसमें पति/पत्नी कार्यरत हैं	मकान किराए भत्ते की भुगतान की गई राशि	अवधि
Sh. Rakesh Awasthi, HDM	Smt. Vandana Sharma	HPSEB Kumar House Shimla	20000	1.4.14 से 31.3.15
Sh. Bodh Raj, J.E	Smt. Kaushlya Devi	HP Police Deptt. Shimla	18400	1.4.14 से 31.3.15
		कुल योग	**38400**	

27 परिवार नियोजन भत्ते के रूप में ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान

वित्त विभाग (विनियम) के कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन (सी)ए(3)–6/80, दिनांक 8.12.1981 व फिन (सी)ए(3)–8/88, दिनांक 24.7.2013 के अनुसार परिवार नियोजन भत्ते की दर कर्मचारी के पद के वेतनमान के प्रथम/न्यूनतम वेतन वृद्धि के बराबर, जोकि दिनांक 1.1.1996 से लागू वेतनमान पर आधारित होगी, देय होगी, परन्तु उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए प्रावधानों के विपरीत डिमुडा द्वारा निम्न कर्मचारी के पक्ष में परिवार नियोजन भत्ते का देय दर से अधिक दर से भुगतान किया गया था। इसके साथ ही वर्तमान समय तक अधिक दर से परिवार नियोजन भत्ते का भुगतान किया गया था, जोकि अनियमित ही नहीं अपितु अनियमिता भी है। अतः वित्त विभाग (विनियम) के कार्यालय ज्ञापनों के विपरीत अधिक दर से परिवार नियोजन भत्ते के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई ₹7400 की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा साथ ही भविष्य में वित्त विभाग (विनियम) के निर्देशों के अनुसार ही परिवार नियोजन भत्ते का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	अनियमित भुगतान की अवधि	भुगतान की राशि	प्रति माह परिवार नियोजन की देय दर	अधिक/अनियमित भुगतान
1	श्री बोध राज,	1.2.2013 से	400	200	7400(200X37 माह)

J.E	29.2.2016

कुल योग 7400

27.1 उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न कर्मचारियों के परिवार नियोजन भत्ते की प्रविष्टि उसकी सेवा पंजिका में नहीं की गई थी, जबकि सेवा नियमों के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक था। अतः वर्तमान में इन कर्मचारियों की सेवा पंजिका में परिवार नियोजन भत्ते की प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम
1	श्री बोध राज, J.E
2	श्री राम चन्द

28 **लघु आपत्ति विवरणिका** यह अलग से जारी नहीं की गई है क्योंकि लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

29 **निष्कर्ष** लेखाओं में रख रखाव में अधिक सुधार की अति आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच0(2)सी(15)(14)196/97–खण्ड–8–4170–4172, दिनांक 22.07.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित की जाती है

पंजीकृत 1 अधिशासी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल–2 शिमला–171009 हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का सटिप्पण उत्तर इस प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2 अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002.

3 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार शिमला–171002.

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

परिशिष्ट–''क''

अंकेक्षण प्रतिवेदन के भाग–I पैरा 1 (ख) में वर्णित

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल–2, शिमला–171009 के लेखो अवधि 4/1988 से 3/2014 तक के पैरों की स्थिति

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97

1	पैरा 25	अनिर्णीत	

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

1	पैरा 20	अनिर्णीत	
2	पैरा 21(क)	अनिर्णीत	
3	पैरा 21(ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा 22	अनिर्णीत	

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा 15(4)	अनिर्णीत	
2	पैरा 18	अनिर्णीत	
3	पैरा 25(1 से 4)	अनिर्णीत	

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा 9	अनिर्णीत	
2	पैरा 10(2)	अनिर्णीत	
3	पैरा 13(1)	अनिर्णीत	
4	पैरा 13(2)	अनिर्णीत	
5	पैरा 17(1)	निर्णीत	(Extra & Substituted items, Deviation की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से पत्र संख्याः HIMUDA(DB)BCS-Phase III (Part-II)t/8-Vol-XIII-2797 Dt 2.12.2008 & HIMUDA(DB) Deposit Work/Divn. No.II-7-Vol-V- 958 Dt. 28.3.2009 से प्राप्त होने के आधार पर)
6	पैरा 17(2)	निर्णीत	(₹17586 को वाउचर संख्या 15, दिनांक 2/2016 द्वारा वसूल किए जाने के उपरान्त)
7	पैरा 17(3)	निर्णीत	(₹7996 को वाउचर संख्या 15, दिनांक 2/2016 द्वारा वसूल किए जाने के उपरान्त)
8	पैरा 18(1)	निर्णीत	(₹11038 को वाउचर संख्या 16, दिनांक 2/2016 द्वारा वसूल किए जाने के उपरान्त)
9	पैरा 18(2)	अनिर्णीत	
10	पैरा 19	अनिर्णीत	
11	पैरा 20(1)	अनिर्णीत	
12	पैरा 20(2)	अनिर्णीत	
13	पैरा 21	अनिर्णीत	
14	पैरा 25	अनिर्णीत	

15	पैरा 27	अनिर्णीत	
16	पैरा 28	अनिर्णीत	
17	पैरा 29	अनिर्णीत	
18	पैरा 31	अनिर्णीत	

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा 9(क)	अनिर्णीत	
2	पैरा 9(ख)	निर्णीत	(पत्र संख्या HIMUDA 15-Contract Case Solan/90-V0l-IV-826 Dt. 17.4.2013 द्वारा सक्षम प्राधिकारी से समय में बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात)
3	पैरा 13(क)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटीप्पण उत्तर के आधार पर)
4	पैरा 13(ख)	निर्णीत	(Deviation के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात)
5	पैरा 14	निर्णीत	(Extra & Substituted items की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त होने के आधार पर)
6	पैरा 15	निर्णीत	(सक्षम प्राधिकारी से समय में बढ़ौतरी की स्वीकृति से प्राप्त होने के पश्चात)
7	पैरा 17	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
8	पैरा 18	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
9	पैरा 19	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
10	पैरा 21(क)	निर्णीत	(Voucher No. J26 to J37 से वाहन संख्याः HP–51–0498 की Out Turn समायोजित करने के उपरान्त)
11	पैरा 21(ख)	अनिर्णीत	
12	पैरा 22	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
13	पैरा 24(क)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
14	पैरा 24(ख)	निर्णीत	(₹668 को रसीद संख्या 0157295, दिनांक 3.3.2016 द्वारा जमा करवाए जाने के उपरान्त)

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा 6(ग)(क)	निर्णीत	(पत्र संख्याः HIMUDA 15- Contract Case Solan/90-Vol-IV-771 Dt. 6.4.2013 द्वारा सक्षम प्राधिकारी से समय में बढ़ोतरी की स्वीकृति से प्राप्त होने के पश्चात)
2	पैरा 6(ग)(ख)	निर्णीत	(MB No. 515 P. No. 59 पर दिए गए सर्टिफिकेट "No Serviceable material has been excavated from the site. के आधार पर)
3	पैरा 7	निर्णीत	(Extra & Substituted items की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से पत्र संख्याः HIMUDA(DB)PSFS/KandaGhat/8-Vol-XIII-2797 Dt 2.12.2008 & HIMUDA(DB) Deposit Work/Divn. No.II-7-Vol-V- 958 Dt. 28.3.2009 से प्राप्त होने के आधार पर)
4	पैरा 8	निर्णीत	(Deviation के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात)
5	पैरा 9	निर्णीत	(Extension of Time के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति

			प्राप्त होने के पश्चात)
6	पैरा 11	अनिर्णीत	
7	पैरा 14	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
8	पैरा 15	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
9	पैरा 16	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
10	पैरा 17(क)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
11	पैरा 17(ख)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
12	पैरा 19	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा 5(ख)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
2	पैरा 6(ङ)	निर्णीत	(₹4246 को Adjustment Voucher संख्याः 7 दिनांक 12/2015, Journal P. No. 229 दिनांक 12/2015 द्वारा समायोजित करने के उपरान्त)
3	पैरा 13	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
4	पैरा 14	निर्णीत	(Extension of Time के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात)
5	पैरा 15	निर्णीत	(Extra & Substituted items की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त होने के आधार पर)
6	पैरा 16	निर्णीत	(Deviation के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात)
7	पैरा 18	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
8	पैरा 20	निर्णीत	(किए गए व्यय के सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात)
9	पैरा 22	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
10	पैरा 24(क)	निर्णीत	(Out Turn of Vehicle No. HP –51–0408 को विभिन्न निर्माण कार्यों की लागत में समायोजित करने के उपरान्त)
11	पैरा 25	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
12	पैरा 27	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए सटिप्पण उत्तर के आधार पर)
13	पैरा 29	निर्णीत	(सक्षम प्राधिकारी की आवश्यक स्वीकृति पत्र संख्याः HIMUDA(DB)A/R&M/O DIVN No.- II- 6 Vol-II Dt. 13.5.2008 प्राप्त होने के उपरान्त)

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा 8	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
2	पैरा 12	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
3	पैरा 20	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
4	पैरा 21	अनिर्णीत	
5	पैरा 22(क)	अनिर्णीत	
6	पैरा 23	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
7	पैरा 25	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt.

23.11.2015 के द्वारा)

8 पैरा 26 अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1 पैरा 10.3 निर्णीत (पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
2 पैरा 11.1 निर्णीत (पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
3 पैरा 11.2 निर्णीत (पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
4 पैरा 11.3 निर्णीत (पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
5 पैरा 16 निर्णीत (पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
6 पैरा 18 निर्णीत (पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1 पैरा 7(1) निर्णीत (पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
2 पैरा 7(2) निर्णीत (पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
3 पैरा 7(3) निर्णीत (पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
4 पैरा 10.3 अनिर्णीत
5 पैरा 12 निर्णीत (पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
6 पैरा 13 निर्णीत (पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

1 पैरा 7 निर्णीत (पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
2 पैरा 8 अनिर्णीत
3 पैरा 10 निर्णीत (पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
4 पैरा 12(ख) निर्णीत
5 पैरा 12(ग) निर्णीत (पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
6 पैरा 12(घ) निर्णीत (पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
7 पैरा 13(क) निर्णीत (पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
8 पैरा 13(ख) निर्णीत (पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)

9	पैरा 15(क)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
10	पैरा 15(ख)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
11	पैरा 16(क)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
12	पैरा 16(ख)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
13	पैरा 17	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
14	पैरा 18(क)	अनिर्णीत	
15	पैरा 18(ख)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
16	पैरा 19(क)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
17	पैरा 19(ख)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
18	पैरा 19(ग)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
19	पैरा 19(घ)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
20	पैरा 19(ड.)	अनिर्णीत	
21	पैरा 20(क)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
22	पैरा 20(ख)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
23	पैरा 20(ग)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
24	पैरा 20(घ)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
25	पैरा 20(ड.)	अनिर्णीत	

(12) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014

1	पैरा 7	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
2	पैरा 8	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
3	पैरा 9	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
4	पैरा 10	निर्णीत	(–यथोपरि–)
5	पैरा 11	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
6	पैरा 12(1)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
7	पैरा 12(2)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt.

			23.11.2015 के द्वारा)
8	पैरा 13(1)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
9	पैरा 13(2)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
10	पैरा 14(1)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
11	पैरा 14(2)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
12	पैरा 14(3)	अनिर्णीत	
13	पैरा 14(4)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
14	पैरा 15(क)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
15	पैरा 15(2)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
16	पैरा 16	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
17	पैरा 17(1)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
18	पैरा 17(2)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
19	पैरा 17(3)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
20	पैरा 17(4)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
21	पैरा 17(5)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
22	पैरा 17(6)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
23	पैरा 17(7)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
24	पैरा 17(8)	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
25	पैरा 18	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
26	पैरा 19	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
27	पैरा 20	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)
28	पैरा 21	निर्णीत	(पत्र संख्याः Fin(L.A)H(2)C(15)(14)196/97-Vol-7-6858 Dt. 23.11.2015 के द्वारा)

पूर्व नगर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मण्डल–2 को स्थानान्तरित पैरों की नवीनतम स्थिति

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/89

1	पैरा 10	अनिर्णीत
2	पैरा 11(क)	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90

1	पैरा 23(ङ)(1)	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91

1	पैरा 10 (परिशिष्ट व)	अनिर्णीत
2	पैरा 29	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92

1	पैरा 9(घ)(1 से 4)	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93

1	पैरा 9	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/94

1	पैरा 24(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 24(बी)	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95

1	पैरा 5(7)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(8)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(2)	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96

1	पैरा 20	अनिर्णीत
2	पैरा 27	अनिर्णीत
3	पैरा 30	अनिर्णीत
4	पैरा 32(सी)	अनिर्णीत
5	पैरा 32(डी)	अनिर्णीत
6	पैरा 32(ई)	अनिर्णीत
7	पैरा 32(एफ)	अनिर्णीत
8	पैरा 32(जी)	अनिर्णीत
9	पैरा 32(एच)	अनिर्णीत
10	पैरा 33	अनिर्णीत
11	पैरा 36	अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97

1	पैरा 13(ट)	अनिर्णीत

2	पैरा 12(ढ)(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 19(ङ)	अनिर्णीत

(10) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98</u>

1	पैरा 20(10)(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 23(1)(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 23(1)(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 23(1)(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 25(क)	अनिर्णीत
6	पैरा 25(ख)	अनिर्णीत

(11) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.99 से 15.01.2001</u>

1	पैरा 21 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
2	पैरा 22 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
3	पैरा 78 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
4	पैरा 79 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
5	पैरा 80 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत
6	पैरा 81 (दोनों मण्डल)	अनिर्णीत